न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अभीलाल यादव, आर.ए.एस.

नं. मु. 67/2024 दायरा दिनांक:– 21-10-24

1. गिरधारी पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
2. नारायण पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
3. मांगीलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
4. मोहनराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
5. नानुराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
6. पुना पुत्री गणेशाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा हाल निवासी कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला

वादीगण

बनाम

1. खीवाराम पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
2. मोहनी देवी पत्नी मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
3. जेठाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
4. भगाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
5. मुन्नीलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
6. मालाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
7. कंवरी पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
8. गोदावरी पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
9. सुखी पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
10. सोहनी पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
11. उदी देवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
12. भागूराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
13. बजरंगलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
14. सुन्दर पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
15. गजेन्द्रसिंह पुत्र सोभल सिंह जाति राजपूत निवासी डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
17. उप पंजीयक बीदासर
18. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा
19. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा सुजानगढ़
20. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, रिकार्ड संशोधन, कृषि भूमि का विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति अंतगर्त धारा 88,53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपस्थित :– 1. श्री ज्ञानाराम एडवोकेट – वकील वादी

2. श्री बजरंगसिंह एडवोकेट – वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10

3. श्री अमरसिंह एडवोकेट – वकील प्रतिवादी संख्या 11 ता 14

4. पेरोकार राज तहसीलदार बीदासर

–: निर्णय :– दिनांक :– 13-4-26

प्रस्तुत वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि :– ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर मे खेत खसरा नंबर 295 तादादी 9.6366 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 तादादी 7.8408 हैक्टेयर, खसरा नंबर 89 तादादी 5.6909 हैक्टैयर, खसरा नंबर 93 तादादी 3.1742 हैक्टेयर कुल 4 किता कुल तादादी 26.3425 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के संयुक्त खातेदारी का स्थित है। उक्त खेत पहले नरसाराम व गणेशाराम के संयुक्त खातेदारी के थे। उनके स्वर्गवास पश्चात् वादगत खेतो की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को विरास्तन आधार पर प्राप्त हुई। पारां का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 11 ता 14 ही है। उक्त खाता मे प्रतिवादी संख्या 11 उदी देवी पत्नी कानाराम व प्रतिवादी संख्या 12 भागूराम पुत्र कानाराम ने अपने हिस्सा मे से 0.7056 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.09.24 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 15 को विक्रय कर दी। उक्त भूमि बिना विधिक बंटवारा किये तथा सहखातेदार वादीगण को बिना सूचना के विक्रय की गई है। उक्त विक्रय विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण शून्य है। वादगत खेतो की संयुक्त खातेदारी को लेकर प्रतिवादीगण 1 ता 15 वादीगण की हिस्सा भूमि मे नाजायज दखल अंदाजी करने लग गये है। वादीगण द्वारा समझाने पर भी वोह मान नही रहे है तथा वादीगण को धमकिया दे रहे है कि वादीगण को उनकी हिस्सा भूमि से बेदखल करके ही रहेगे। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को चिरनिषेधाज्ञा के आदेश से वर्जित करवाना चाहते है। तथा वादीगण अपने हक हिस्सानुसार वादगत भूमि का बंटवारा करवा कर अपना खाता अलग करवाना चाहते है। जिसका वादीगण को वादाधार व वाद हेतुक प्राप्त है तथा न्यायालय को श्रवणाधिकार है। आदि आदि प्रस्तुत किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री बजरंगसिंह एडवोकेट व 11 ता 13 की और से अमरसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 ता 10, 15, 17 ता 20 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 24.11. 2025 को एक प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी मे लेने का प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की और से श्री बजरंगसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के खिलाफ एक तरफा कर्यावाही निरस्त की गई। प्रतिवादी संख्या 14 की और से श्री अमरसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की और से राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार राज ने अपने जबाब मे राजहित नही होना अंकित किया है। दिनांक 23.02.2026 को पक्षकारान ने एक प्रार्थना पत्र धारा 151 राजीनामा मे संशोधन का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का कब्जा हिस्सा पांति खसरा नंबर 89 व 93 मे ही रहा है। खसरा नंबर 295 व 324 से

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

इनका कोई सरोकार नही है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा विक्रय की गई भूमि खसरा नंबर 89 व 93 मे से ही हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम की जाये।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया व बहस का मनन किया। मुताबिक राजीनामा मे वादी का वादगत खेत रोही ग्राम डूंगरास आथूणा के खेत खसरा नंबर 295 तादादी 9.6366 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 तादादी 7.8408 हैक्टेयर भूमि नरसाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम हक हिस्सा अनुसार दर्ज कर वादीगण 1 ता 6 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 के नाम हटाने का निवेदन किया गया है तथा खसरा नंबर 89 तादादी 5.6909 हैक्टैयर, खसरा नंबर 93 तादादी 3.1742 हैक्टेयर गणेशाराम के वारिसान वादीगण 1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 15 के नाम हक हिस्सा अनुसार दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का नाम हटाने बाबत निवेदन किया गया है। अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादगत भूमि का विभाजन किया जाना उचित है तथा वाद वादी अंतिम डिकी किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद राजीनामा के आधार पर इस प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है कि रोही ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर मे खेत खसरा नंबर 295 तादादी 9.6366 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 तादादी 7.8408 हैक्टेयर भूमि मे से वादीगण 1 ता 6 व प्रतिवादीगण 11 ता 15 व मृतक पारा के नाम हटाकर प्रतिवादीगण 1 ता 10 के नाम रखी जावे। जिसमे 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 खींवाराम व 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 प्रत्येक के नाम दर्ज की जाकर पूर्व से बैंक के राहिन खातेदार की हिस्सा भूमि संबंधित बैंक के रहन दर्ज की जावें तथा खसरा नंबर 89 तादादी 5.6909 हैक्टैयर, खसरा नंबर 93 तादादी 3.1742 हैक्टेयर मे से प्रतिवादीगण 1 ता 10 व मृतक पारा का नाम हटाया जावे। खसरा नंबर 89 व 93 मे प्रतिवादी संख्या 11 व 12 अपनी संपूर्ण हिस्सा भूमि विक्रय कर चुके है इसलिये इनका भी नाम हटाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 के हिस्से मे रखी जावे जिसमे वादीगण प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 13 सुन्दर के नाम 1/28 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 प्रत्येक के नाम 3/56 हिस्सा भूमि दर्ज की जाकर पूर्व से बैंक के राहिन खातेदार की हिस्सा भूमि संबंधित बैंक के रहन दर्ज की जावे। तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किया जावे। निर्णय आज दिनांक ...... 13/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर